



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उ०प्र०

शिक्षक कल्याण कोष (TWF) अध्यादेश एवं नियमावली

दिनांक 22-04-2026 को अपराह्न 04:00 बजे, शिक्षक कल्याण कोष के गठन हेतु वित्त समिति में लिए गए निर्णय के अनुपालन में माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 06-04-2026 के द्वारा गठित समिति की आवश्यक बैठक, मीटिंग कक्ष, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे: —

1. प्रो० बी० बी० एस० परिहार, प्राचार्य, जे० एल० एन० कालेज, एटा।
2. प्रो० ए० के० रुस्तगी, प्राचार्य, के० ए० पी० जी० कालेज, कासगंज।
3. प्रो० कृष्णा अग्रवाल, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़।
4. प्रो० पुष्पेन्द्र यादव, धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़।
5. प्रो० हरीश कुमार शर्मा, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
6. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
7. कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक कल्याण कोष की सहायतार्थ धनराशि हेतु निम्नलिखित संस्तुति की गई:—

1. **अंशदान:** इस कल्याण कोष में विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित कार्य के लिए पारिश्रमिक बिलों से अंशदान के रूप में पाँच प्रतिशत (5%) की कटौती की जाएगी।
2. **संचालनसमिति:** इस कोष का संचालन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा-

(क) कुलपति (अध्यक्ष)।

(ख) अध्यक्ष एवं महासचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (रम्पुटा)।

(ग) एक वरिष्ठ प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नामित होगा और जिसका कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(घ) विश्वविद्यालय परिसर का एक वरिष्ठ शिक्षक जो कुलपति द्वारा नामित होगा और जिसका कार्यकाल दो वर्ष होगा।

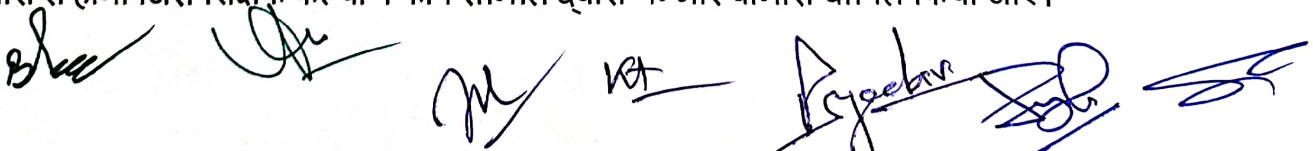
(ड) अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों में से एक वरिष्ठ शिक्षक चक्रानुक्रम में; जिसका कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(च) विश्वविद्यालय चिकित्साधिकारी, अथवा विश्वविद्यालय चिकित्साधिकारी के न होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक।

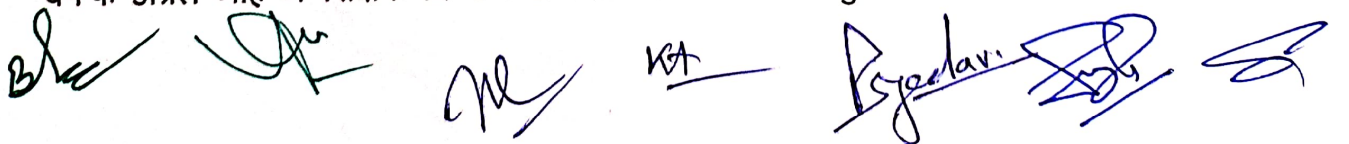
(छ) विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी।

(ज) विश्वविद्यालय कुलसचिव।

3. **पात्रता:** इस कोष से सहायता राशि प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर एवं अनुदानित महाविद्यालयों के सभी स्थायी शिक्षक अर्ह होंगे। इनके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सभी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित वे शिक्षक अर्ह होंगे जिन्होंने सात वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो। ऐसे शिक्षकों को आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र एवं पिछले सात वर्षों का वेतन विवरण (सैलरी स्टेटमेंट) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
4. **उद्देश्य:** इस कोष का उद्देश्य बिन्दु संख्या ३ के अन्तर्गत अर्ह किसी भी शिक्षक की स्वयं की तथा उस पर आश्रित की सामान्य / गम्भीर बीमारी में, एवं शिक्षक की मृत्यु की दशा में, उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
5. **गम्भीर बीमारी हेतु सहायता:** गम्भीर बीमारी की दशा में सहायता राशि अधिकतम ₹2,00,000 (रुपए दो लाख मात्र) होगी।
6. **सामान्य बीमारी हेतु सहायता:** सामान्य बीमारी, जैसे शल्य चिकित्सा (सर्जरी), अस्थिभंग (फ्रैक्चर), दाह (बर्न) अथवा सामान्य प्रकार की शारीरिक बीमारी में अधिकतम ₹1,00,000 (रुपए एक लाख मात्र) तक की आर्थिक सहायता की जा सकती है।
7. **मृत्यु की दशा में सहायता:** सेवा के दौरान अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने तक शिक्षक की मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम ₹5,00,000 (रुपए पाँच लाख मात्र) तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
8. **गम्भीर बीमारी की परिभाषा:** गम्भीर बीमारी का आशय कैंसर, तपेदिक (क्षयरोग), लकवा, हृदयरोग, गम्भीर दुर्घटना, गम्भीर दाह (जलना), मस्तिष्क रक्तस्राव (ब्रेन हेमरेज) अथवा अन्य किसी ऐसी बीमारी से होगा जिसे शिक्षक कल्याण कोष समिति द्वारा गम्भीर बीमारी घोषित किया जाए।



9. **अन्य स्रोतों से सहायता:** शिक्षक कल्याण कोष से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षकों को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त बीमारी हेतु उनके द्वारा विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गई है। अन्य स्रोतों से सहायता धनराशि प्राप्त होने की दशा में शिक्षक कल्याण कोष से धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। विशेष परिस्थिति में उपरोक्त नियम को शिथिल करने की शक्ति शिक्षक कल्याण कोष समिति के अध्यक्ष माननीय कुलपति की होगी और उनका निर्णय अन्तिम होगा। मृत्यु की दशा में आवेदन पत्र के साथ शासन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. **बिल एवं सत्यापन:** सामान्य एवं गम्भीर बीमारी का उपचार पूर्ण होने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ अस्पताल से मुहर सहित हस्ताक्षरित प्रमाणित बिल, अस्पताल का प्रवेश कार्ड (एंट्रीकार्ड) एवं छुट्टी प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज कार्ड) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त सभी बिलों का उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रावधानित व्यवस्था अनुसार परीक्षण विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी अथवा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। अन्तिम निर्णय संचालन समिति का होगा।
11. **आवेदन प्रक्रिया:** कोई भी आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।
12. **सहायता की सीमा:** एक शिक्षक सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने तक अधिकतम तीन बार ही नियमानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
13. **आश्रित की परिभाषा:** उत्तर प्रदेश शासन ,कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-6/2021/6/XII-1973-का-2-2021 टी.सी.- (IV)/2021 लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2021 में प्राविधानित व्यवस्था अंतर्गत आश्रित का अभिप्राय शिक्षक पर आश्रित अवयस्क पुत्र /दिव्यांग संतान एवं अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता तथा पति एवं पत्नी से होगा।
14. **समिति की बैठक:** शिक्षक कल्याण समिति की बैठक माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्येक वर्ष अधिकतम तीन बार आहूत की जाएगी।
15. **वित्त एवं लेखा परीक्षण:**
- (1) शिक्षक कल्याण कोष का संचालन वित्त अधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा तथा कोष की सम्परीक्षा लेखाधिकारी द्वारा की जाएगी। आय एवं व्यय का विवरण तथा सम्परीक्षा आख्या प्रति वर्ष के अप्रैल माह में शिक्षक कल्याण कोष समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।



(2) आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु शिक्षक कल्याण समिति की संस्तुति पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। परन्तु शिक्षक की मृत्यु की दशा में समिति की संस्तुति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

हस्ताक्षर / Signatures

प्रो० बी० बी० एस० परिहार



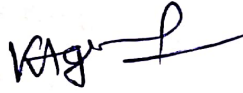
प्राचार्य, जे० एल० एन० कालेज, एटा

प्रो० ए० के० रुस्तगी



प्राचार्य, के० ए० पी० जी० कालेज, कासगंज

प्रो० कृष्णा अग्रवाल



श्री वाष्णीय महाविद्यालय, अलीगढ़

प्रो० पुष्पेन्द्र यादव



धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़

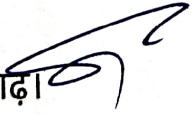
प्रो० हरीश कुमार शर्मा



धर्म समाज कालेज, अलीगढ़

वित्त अधिकारी,

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।



कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़



RAJA MAHENDRA PRATAP SINGH UNIVERSITY, ALIGARH
Application Form for Teachers Welfare Fund (TWF)

To,
The Vice-Chancellor,
Raja Mahendra Pratap Singh University,
Aligarh
Sir,

I furnish the following details about the case for which I need a financial grant from the "Teacher Welfare Fund". I have carefully read the ordinances on the subject and I am eligible to seek the grant under the Teacher Welfare Fund.

I. Details of the Teacher

1. Name of the Teacher

.....

2. Department/College

.....

3. Age (in complete years)

.....

4. Name and Address of College/Institution where Serving

.....

.....

5. Length of Service

.....



6. Residential Address

.....
.....

7. Mobile No.

.....

8. Email ID

.....

9. (a) Name of the person applying for the grant (if other than teacher)

.....

(b) Relationship of the applicant with the teacher

.....

II. Information about the Family

S. No.	Name of Family Member	Age	Sex	Whether Serving/Earning	Income	Health Status (e.g., Good or Bad)	Remarks if any

Blue / Qu / AM / NA / Pygalan / Soli / Sh

III. Information about the Grant

1.1 Have you ever received any grant from the Teachers' Welfare Fund?

If yes, mention the year(s):

1.2 What are the circumstances in which the grant was given:

.....
.....
.....

1.3 For whom is the present grant being applied?

(a) For Self

(b) For Wife

(c) For Dependent

1.4 State the circumstances in detail for which the grant is being applied:

.....
.....
.....

IV. (a) Please attach details of expenditure incurred so far, as

Annexure No. 1:

.....

(b) Also please attach an estimated budget of expenditure likely to be incurred in case of specialized Medical Aid Grant and Maintenance Grant as Annexure No. 2:

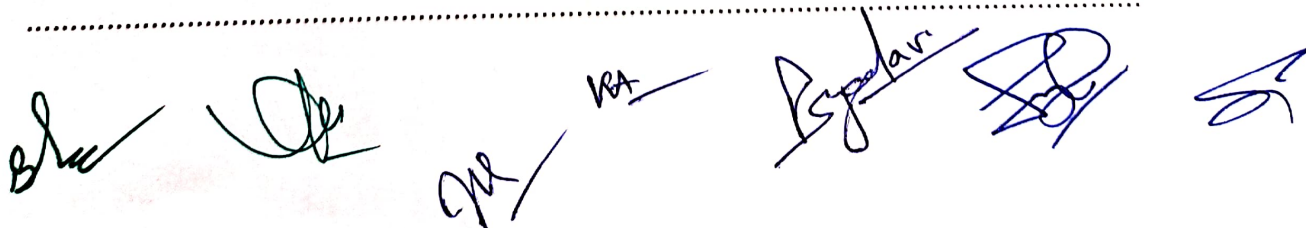
.....

V. List of Documents appended:

.....
.....
.....

VI. Any remarks, comments, or facts not covered above but crucial for a better understanding of the case may be appended separately as Annexure No. 3.

.....
.....

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Shu', followed by a circular stamp or signature, then 'MR' with a checkmark, a signature that looks like 'Raj', a signature that looks like 'S. S.', and finally a signature that looks like 'S'.

- VII. I declare that the facts mentioned above are true and in case these are found to be incorrect, I undertake to reimburse the total amount along with the penalty, as levied by the University, and/or any other punishment whatsoever.

Date:

Signature of the Teacher/Applicant

Name.....

- VIII. In case the teacher is not physically/mentally fit to make the declaration, it is to be given by the applicant other than the teacher, who should be his/her Wife/Husband, Son/Daughter, Father/Mother, or the nominee of the Provident Fund.

I declare that the facts mentioned above are true; the teacher in question is not physically/mentally fit to make this declaration.

Hence, I (Name) who am
(mention relation) hereby
declare that the grant will be used for the purpose applied for. In case
the facts mentioned are found to be false, I undertake to reimburse the
whole amount to the University.

Signature of Teacher/Applicant

Name.....

Address.....

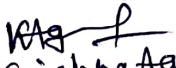
.....
.....

- IX. I certify that Mr./Mrs./Dr./Prof..... is
a teacher in College.....
and is being forwarded to Raja Mahendra Pratap Singh University for the
grant under the Teachers' Welfare Fund.

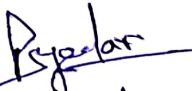
Date:

Principal

Seal


(Prof. B.B.S. Parihar)

(Prof. Krishna Agrawal)

(Prof. A.K. Rustagi)
Principal
K.A.C.G. College
Kasganj


(Prof. Pushpendra Yadav)
Prof. Hanish /c Shams D.S. College,
Aligarh
Aligarh